

सेवा में,

श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय,  
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

**विषय:** **Unfair Means Case (UMC)** में जब्त किया गया मोबाईल फोन/ ब्लूटूथ डिवाइस वापिस देने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं .....

पुत्र / पुत्री श्री ..... रोल नंबर .....

कक्षा ..... महाविद्यालय ..... का/की छात्र/छात्रा हूं।

परीक्षा के दौरान मेरा मोबाईल फोन/ ब्लूटूथ डिवाइस मेरे पास रह गया जिस कारण मेरा Unfair Means Case

बना दिया गया तथा मेरा मोबाईल फोन/ ब्लूटूथ डिवाइस जब्त कर लिया गया था। अब उक्त केस की UMC कमेटी

की मीटिंग दिनांक .....को हो चुकी है और जिसमें मेरे केस नंबर.....का निर्णय .....

है। UMC कमेटी के इस निर्णय से मैं संतुष्ट हूं और इस UMC निर्णय के बारे में भविष्य में कोई अपील या अन्य

कानूनी कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा/करूंगी। अतः कृपा करके मुझे

मेरा मोबाईल फोन/ ब्लूटूथ डिवाइस वापिस देने की कृपा की जाए।

दिनांक:.....

प्रार्थी

**संलग्न:**

1. Affidavit (शपथपत्र) नाम.....
2. ID Proof (college ID) रोलनंबर.....
3. ID Proof (Aadhar Card) स्थाई पता.....  
.....  
मोबाईल नंबर.....

**नोट:-** यदि किसी विद्यार्थी से परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ा गया या अनुचित साधनों के प्रयोग (UMC) के केस के साथ जब्त किया गया है तो विद्यार्थी कमेटी के निर्णय की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30दिन के बाद वह मोबाईल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस वापिस लेने के लिए प्रार्थना पत्र (निर्धारित शपथपत्र तथा पहचान पत्र की कॉपी के साथ) दे सकता है। मोबाईल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस कमेटी के निर्णय की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30दिन के बाद ही वापिस दिए जाएंगे। यदि विद्यार्थी ने कमेटी के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु अपील दायर कर रखी है तो उसका मोबाईल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस अपील कमेटी के निर्णय के जारी होने के बाद उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही वापिस दिया जाएगा।